

मा लीन एस पुषिणर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०
25/6/21	<p>प्रथम कोर्ट में पेश हुई। बाकी उपस्थिति दोनों पक्षों को 11. फेब्रुवारी बाद निये धारा 14 प्रकार कोर्टा जाता है कि विवाह के आधी की सौदा व राजस्व विभाग की प्रशासकीय कर्तव्य रखें। प्रथम कोर्ट सुनने दोपहर 12:30 से काग हो तथा वार 11:00 तक बाद ही।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलव)</p>